**भारत सरकार**

**मंत्रिमंडल सचिवालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 2081**

**12 मई , 2016 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**स्‍वेच्‍छा से गायब हो रहे रॉ के अधिकारी**

**2081. श्री एस. थंगावेलु :**

क्‍या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या यह सच है कि बाह्य आसूचना एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के अधिकारी गायब हो गए और अब उन्‍हें बड़े पश्चिमी देशों में देखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और

(ग) क्‍या यह भी सच है कि विगत में ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें रॉ के अधिकारी स्‍वेच्‍छा से गायब हुए हैं; और यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. जितेन्‍द्र सिंह)**

(क)से (ग): रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अधिकारियों के गायब हो जाने तथा विदेशों में देखे जाने की रिपोर्टें निराधार प्रतीत होती हैं । एकमात्र अपवाद श्री रबिन्‍दर सिंह, बरखास्‍त संयुक्‍त सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के मामले का है, जो मई, 2004 में भारत से फरार होकर संयुक्‍त राज्‍य अमेरिका में बस गए । श्री रबिन्‍दर सिंह पर मुख्‍य महानगरीय दंडाधिकारी, दिल्‍ली की अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख के साथ पठित शासकीय गुप्‍त बात अधिनियम की धारा 3/9 के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चल रहा है ।

---